ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लॉन्च

चर्चा में क्यों?

26 सितंबर, 2022 को हरियाणा सरकार के विशेष गिरदावरी के आदेश के बाद राजस्व विभाग ने बेमौसमी बारिश से हुए फसल के नुकसान को जानने के लिये ई-फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल लिंक लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल पर किसान अपने मोबाइल नंबर और परिवार पहचान-पत्र से लिंक कर सकते हैं और फसल खराब होने के 72 घंटे के अंदर खराब फसल की जानकारी और फोटो अपलोड कर सकते हैं।
- पोर्टल पर किसानों को ज़मीन का खसरा नंबर समेत फसल, फसल बीमा कवर है या नहीं और कितनी एकड़ में फसल, कितने प्रतिशत तक खराब हुई है,के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी। इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना और बीज विकास निगम प्रोग्राम में कवर होने वाले किसान शामिल नहीं होंगे।
- पोर्टल पर आई नुकसान की रिपोर्ट को पटवारियों को आगामी एक सप्ताह में फील्ड में जाकर भौतिक रूप से जाँचना होगा और इसके बाद रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे।
- इस संबंध में वित्तायुक्त एवं हरियाणा राजस्व आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से सभी डीसी को पत्र जारी कर निर्देश दिये गए हैं।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिये हैं कि पोर्टल पर आने वाली तमाम शिकायतों की फील्ड में पटवारियों व कानूनगो द्वारा भौतिक जाँच कराई जाए। किसानों द्वारा दी गई खराबी की जानकारी और फोटोग्राफ की पटवारियों को जाँच करनी होगी। आगामी सात दिनों में पटवारियों को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। इसके बाद सरकार फसल खराबी के नियमों के अनुसार प्रभावित किसानों को मुआवज़ा देगी।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/e-crop-compensation-portal